न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 32/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/217 151

1. नन्दराम पुत्र चुनीराम जाति नायक निवासी चक 6बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. तोता सिंह पुत्र मेजर सिंह मजहबी सिख निवासी चक 6 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत 6 बीएलएम पंचायत समिति श्रीविजयनगर
3. पदेन सचिव, ग्राम पंचायत 6 बीएमएम पंचायत समिति श्रीविजयनगर
4. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति, पंचायत समिति श्रीविजयनगर

–गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री रविन्द्र बलाना, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री हंसराज डाल, अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं. 1
3. अनुपस्थित, गैर निगरानीकर्ता सं. 2–3–4

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 12/11/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रकरण(प्र.सं. 02/17) पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है जिसका निस्तारण किया जा रहा है। निगरानीकर्ता के द्वारा यह निगरानी अध्यक्ष प्रशासन स्थापना समिति, पंचायत समिति श्रीविजयनगर के आदेश क्रमांक 2372 दिनांक 28.09.2016 जिसके द्वारा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने का अंकन करते हुए न्यायालय का आदेश पारित होने तक यथास्थिति के आदेश जारी किये गये है एवं ग्राम पचांयत के आदेश दिनांक 26.01.2001 के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में अहाता सं. 46 कुल क्षेत्रफल 15000 वर्गफीट का पटटा जारी किया गया है के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की गयी है।
2. पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा निगरानी अनुमति एवं मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखा जाकर निगरानी दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। गैरनिगरानीकर्तागण को तलब किया गया एवं निगरानीधीन आदेश संबंधित अभिलेख तलब किया गया। गैर निगरानीकर्ता सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। गैर निगरानीकर्ता सं. 2 व 3 के विरूद्ध दिनांक 10.08.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही गयी। अप्रार्थी सं. 4 को विधिवत नोटिस तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आए। उभयपक्ष अधिकवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गयी।
3. वकील निगरानीकर्ता अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी गांव 6 बीएलएम में वर्ष 1980 से अपने परिवार सहित मौका पर मकान बनाकर निवास करता आ रहा है अप्रार्थी सं. 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए 25.01.2001 को कब्जा नहीं होते हुए भी नियम 157 के तहत अपने पक्ष में निगरानीधीन पटटा सं. 46 क्षेत्रफल 15000 वर्गफीट का जारी करवा लिया है। जो विधिवत नहीं है ना ही 15000 वर्गफीट का पटटा जारी किया जा सकता है। जबकि उक्त अहाता निगरानीकर्ता का है जिस पर प्रार्थी निवास कर रहा है और प्रार्थी का विद्युत कनैक्शन भी है। मकान बनाने हेतु राज्य सरकार से सहायत भी प्राप्त की गयी है। जब अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी के उक्त अहाता पर दिनांक 12.03.2012 को कब्जा करने की चेष्टा की तो विवाद प्रारम्भ हुआ। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय अनूपगढ़ के द्वारा प्र.सं. 25/13 तोता सिंह बनाम नन्दराम में अपने निर्णय दिनांक 10.07.2014 द्वारा प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निर्णित करते हुए पटटा विधि विरूद्ध माना और कब्जा भी प्रार्थी का माना है। जिसके विरूद्ध अपील विचाराधीन है। पटटा

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा कार्यालय पंचायत समिति अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति श्रीविजयनगर के समक्ष चाराजोही की जिरामें मा. अपर जिला सैशन न्यायाधीश के समक्ष प्रकरण जैरकार होने के कारण न्यायलाय के आदेश पारित होने तक यथास्थिति रखने के आदेश जारी किये गये। जबकि मा. न्यायालय का स्थगन आदेश खारिज हो चुका है। इसलिए यह निगरानी पेश की गयी है। जानबूझकर निगरानी प्रस्तुत करने में विलम्ब नहीं किया गया है। प्रार्थी को अध्यक्ष प्रशासन एव स्थापना समिति श्रीविजयनगर के निगरानीधीन आदेश का ज्ञान पूर्व मे नहीं था ज्ञान होने पर अविलम्ब निगरानी पेश की गयी है। देरी क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है। निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगरानीधीन पटटा निरस्त करते हुए प्रार्थी के नाम से पटटा जारी करने हेतु आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं. 1 अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूखण्ड से संबंधित प्रकरण मा. अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश अनूपगढ़ के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थी का निगरानीधीन भूखण्ड में कोई हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी के पक्ष में जारी पटटा वैध है और विधिवत रूप से पूर्ण प्रक्रियात्मक कार्यवाही पूर्ण कर जारी किया गया है। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, अनूपगढ के द्वारा प्र.सं. 12/12 चुन्नी राम आदि बनाम तोता सिंह बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 05.06.2012 में अप्रार्थी तोता सिंह के पक्ष में मामला मानते हुए प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है। प्रार्थी अप्रार्थी के अहाता पर कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी सद्भावी नहीं है। प्रार्थी को पट्टा के संबंध में प्रारम्भ से ज्ञान है, परन्तु उनके द्वारा निश्चित समयावधि में निगरानी प्रस्तुत नहीं की गयी है। निगरानी बाहर मियाद होने और सारहीन होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत किये जाने हेतु कोई समयावधि निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील ग्रहण की जाती है। उभयपक्ष द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि निगरानीधीन भूखण्ड के संबध में मा. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ के समक्ष अपील प्रकरण विचाराधीन है। प्रार्थी का कथन है कि न्यायाधिकारी, मा. ग्राम न्यायालय अनूपगढ़ के द्वारा उनके पक्ष में दिनांक 10.07.2014 को प्र.सं. 25/13 तोता सिंह बनाम नन्दराम में निर्णय किया गया है। परन्तु प्रार्थी की ओर से निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसके विपरीत अप्रार्थी सं. 1 की ओर से न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, अनूपगढ के द्वारा प्र.सं. 12/12 चुनीराम आदि बनाम तोता सिंह बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 05.06.2012 की प्रति प्रस्तुत की गयी है जो कि अप्रार्थी तोता सिंह के पक्ष में निर्णित हुआ है। ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख में मा. अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ के प्र.सं. 21/14 तोता सिंह बनाम नंदराम आदि अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय अनूपगढ प्र.सं. 25/13 जिसकी रूह से वादी का वाद पत्र खारिज किया गया है, अपील पत्र पत्र की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति संलग्न है का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अप्रार्थी तोता सिंह का प्रार्थी नन्दराम के विरूद्ध मा. ग्राम न्यायालय अनूपगढ के समक्ष विचाराधीन वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णय प्रति अस्थाई निषेधाज्ञा की है तथा वाद पत्र के निर्णय के पूर्व की है, जिनका अवलोकन करने से स्पष्ट है कि दोनों प्रकरण पृथक पृथक है। निगरानीधीन आदेश अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति, पंचायत समिति श्रीविजयनगर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.09.2016 के द्वारा न्यायालय के प्रकरण के विचाराधीन होने तक यथास्थिति के आदेश दिए गए है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं उभयपक्ष अधिवक्तागण के कथनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मा. अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत की कार्यवाही पटटा आदि के सबध में निगरानी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। उभयपक्ष के द्वारा निगरानी के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. निगरानीधीन पटटा सं. 2 पुस्तक सं. 213 बहक तोता सिंह का अवलोकन किया। पटट प्रारूप 23 नियम 167(1) के तहत जारी किया गया है जिसकी मद सं. 2 मे

जिला कलक्टर अनूपगढ़

नियम 157ख का अंकन करते हुए 200/- रूपये की राशि पर पटटा जारी कर दिया गया है। जबकि निमय 167 एंव नियम 157 में पटटे दिए जाने की प्रक्रिया और पटटे का प्रारूप भिन्न-भिन्न है। पटटे पर अंकित है कि पटटा ग्राम सभा प्रस्ताव 14 दिनांक 26.01.2001 के अनुसरण में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर मे उक्त तिथि 26.01.2001 के प्रस्ताव सं. 14 में बिन्दू सं. 1 में तोता सिंह द्वारा 200/- रूपये राशि जमा करवाई जाने पर पटटा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया है परन्तु प्रस्ताव में अहाता सं. व साईज का अंकन नहीं किया गया है स्थान रिक्त रखा गया है जबकि इसी के साथ बिन्दू सं. 2 में पारित प्रस्ताव में सम्पूर्ण प्रविष्ठियों का अंकन है।

7. प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जारी निगरानीधीन पटटा कुल क्षेत्रफल 15000 वर्गफीट का पुराने भवनों के विनियमितिकरण के तहत जारी किया गया है, इतने वृहत क्षेत्रफल के भूखण्ड का नियमन कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी तोता सिंह के पक्ष में किया गया है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में अप्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर कब्जा सिद्ध होने बाबत कोई दस्तावेज नहीं है। बैठक कार्यवाही विवरण पंजिका में पारित ग्राम सभा बैठक प्रस्ताव में भी अहाता के साईज का अंकन नहीं है। प्रश्नगत पट्टा पर पट्टा जारी करने की तारीख अंकित नहीं है जबकि पटटा बुक में उपलब्ध अन्य पट्टों पर जारी करने की तिथि अंकित है। ऐसी स्थिति में निगरानीधीन पट्टा जारी करने के संबंध में ग्राम पंचातय की कार्यवाही संदेहास्पद होने से निगरानीधीन पटटा विधिसंगत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत 6 बीएमएम के द्वारा जारी निगरानीधीन पटटा गांव 6 बीएमएम पटटा सं. 2 बुक सं. 213 बहक अप्रार्थी तोता सिंह अहाता सं. 46 क्षेत्रफल 15,000 वर्गफुट निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निगरानीधीन आदेश संबंधित अभिलेख संबंधित कार्यालय को लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक ....12/11/2024.... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)